Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 9: Levy and collection.

- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied a tax called the central goods and services tax on all intra-State supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under section 15 and at such rates, not exceeding twenty per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person.
- (2) The central tax on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.
- (3) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.
- 1(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both.]
- (5) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of services the tax on intra-State supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this Act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services:

Provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax:

Provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative

Sub-section (4) substituted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(4) The central tax in respect of the supply of taxable goods or services or both by a supplier, who is not registered, to a registered person shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both."

Central Goods & Services Tax Act, 2017

in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax.

धारा 9 : उद्ग्रहण और संग्रहण

- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर की पूर्ति को छोड़ कर, माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर सभी पूर्तियों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक, ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, केन्द्रीय माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा।
- (2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे सामान्यतया पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन की पूर्ति पर केन्द्रीय कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।
- (3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।
- 1[(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे मानो वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।
- (5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसकी राज्य के भीतर पूर्ति किए जाने पर कर, यदि सेवाओं की पूर्ति इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की जाती है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है:

परन्तु यदि किसी इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा:

परन्तु यह और कि जहां किसी इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय

¹ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा उपधारा (4) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (4) इस प्रकार थी:
"(4) किसी ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रिजस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में केन्द्रीय कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह ऐसा व्यक्ति है जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।"

भाग—I केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

www.cggst.com